पत्रांक सं0–15/डी0एल0ए0 पटना (रा0उ0प0)–04/13–...292.../रा0, पटना–15, दिनांक–31/01/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

पटना, तारीखः.........................

सं0...रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–कंसारी, चादर नं०–01, थाना नं0–73, सर्वे थाना–मसौढ़ी, परगना–सांढा, जिला–पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0–78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–कंसारी, चादर नं०–01, थाना नं0–73 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश–4.69 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या–489, 492, 503, 504, 505, 801, 802, 890 एवं 904 सभी अंश भाग वो खेसरा संख्या–490 एवं 491 सभी पूर्ण भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है–

उत्तर	:	खेसरा संख्या–489 अंश, 491 पूर्ण, 492 अंश, 503 अंश, 505 अंश, 801 अंश, 893 अंश, 802 अंश, 890 अंश, 894 अंश, 893 अंश।
पूरब	:	खेसरा संख्या–653 अंश, 498 अंश, 488 अंश, 504 अंश, 893 अंश, 801 अंश, 891 अंश, 893 अंश, 902 अंश।
दक्षिण	:	खेसरा संख्या–489 अंश, 490 पूर्ण, 491 अंश, 504 अंश, 893 अंश, 800 अंश, 893 अंश, 904 अंश।
पश्चिम	:	खेसरा संख्या–497 अंश, 496 अंश, 504 अंश, 448 अंश, 802 अंश, 800 अंश, 802 अंश, 890 अंश, 890 अंश, 905 अंश।

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे **उप महाप्रबंधक, तकनीकी परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिहार स्टेट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0, बिहारशरीफ**, के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A के उपबंध लागू नहीं होगें।

समाहर्त्ता
पटना

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव
कृ0 पृ0 उ0

E/BSRDC/BAKAST ONLY/ADHISOOCHNA

ज्ञा0 सं0–15/डी0एल0ए0 पटना (रा0उ0प0)–04/13–...292.../रा0, पटना–15, दिनांक–31./01./2013

ज्ञापांक सं0–   दिनांकः

1. प्रतिलिपि तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदा0, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5–5 प्रतियां इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

30/1/13

सरकार के अवर सचिव।